भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 774

उत्तर देने की तारीख : 07.02.2023

ट्रांसजेंडरों को आरक्षण

774. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में नियोजित ट्रांसजेंडरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत ट्रांसजेंडरों की संख्या कितनी है;

(ग) ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार की क्या नीति है; और

(घ) क्या सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख): अब तक कुल 10653 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

(ग): उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

*****